न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट संख्या–03/2023 धारा 144द0प्र0स0

शिवप्रसाद वनाम चन्द्रवंशी वगैरह

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	31/03/2023	अभिलेख उपस्थापित।	

यह अर्जेन्ट वाद अंचल अंचल अधिकारी रंका के पत्रांक 14 दिनांक 10.01.2023 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
नावाबांध/ बेलवादामर	12	1,2,167	2.40	रोड	रामलाल यादव	मखातू सिवान	बेलवादामर

प्रथम पक्षकार कई तिथ्यों से अनुपस्थित हों न ही कारण पृच्छा प्रस्तुत किये है। अपने आवेदन के अनुसार अंचल अधिकारी रंका जांच प्रतिवेदन के आधार धारा 144 द0प्र0स0 की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। ग्राम बेलवादामर एवं नावाबांध में 9.44 एकड़ भूमि हमलोगों का है। उक्त भूमि एवं जोड़ कोड़ करते आ रहे है। आवेदक अपने हिस्सा के अनुसार जमीन पर काबिज रहना चाहते है और न ही झगड़ा झंझट करना चाहते है। अंचल अधिकारी रंका पत्रांक 14 दिनांक 10.02.2023 का जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। आवेदक शिवप्रसाद पिता स्व0 गणपत राम ग्राम बोहरा थाना मझिऑव जिला गढ़वा झारखण्ड राज्य के निवासी है। मौजा बेलवादामर के खाता सं0 82 प्लौट सं0 592, 593 एवं 594 क्रमशः 0.02 एकड़ एवं 0.04 एकड़, कुल रकबा 0. 08एकड़ भूमि का ऑनलाईन का मांग रामजन्म राम पिता विगु राम वो विदेशी राम पिता रघुनी राम वो दुखी राम पिता शंकर राम के नाम से चलता है साथ ही मौजा नावाबांध के खाता संख्या 12 प्लौट 1,2 एवं 1167 रकबा क्रमशः 1.08 एकड़, 0.97 एकड़, एवं 0.43 एकड़ का कुल रकबा 2. 48 एकड़ भूमि का ऑनलाईन मांग रामजन्म कहार पिता विगु कहार वो तपसी कहार पिता सुकन कहार के नाम से सम्मिलात में चलता है। खतियानी रैयत रामजन्म राम पिता विगु राम नावल्द मृत है, इनके सम्पति के उत्तराधिकारी का दावा आवेदक शिवप्रसाद पिता गणपत राम एवं द्वितिय पक्ष के सुनिल चन्द्रवंशी पिता स्व0 गणपत राम वगैरह द्वारा किया जा रहा है। आवेदक शिव प्रसाद एवं द्वितीय पक्ष के सुनिल चन्द्रवंशी वो दीनानाथ राम रिश्ता में खतियानी रैयत रामजन्म राम के भीतीजा लगते है। उक्त भूमि सम्मिलात खाते की है जिसका आपसी बॉटवाराना हिस्सेदारों के बीच नहीं हुआ है। उक्त भूमि पर वर्तमान में द्वितिय पक्ष के सुनील चन्द्रवंशी पिता स्व0 गणपत राम एवं उनके पुत्र चन्द्रकेश चन्द्रवंशी द्वारा जोत कोड़ व कब्जा किए हुए है। उक्त भूमि पर आपसी बॉटवारा एवं हिस्सेदारी को लेकर दोनो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। आपसी बॉटवारा हेतु सक्षम न्यायालय वाद को दायर कर सकते है। द्वितिय पक्षकार का कहना है कि रामजन्म राम निः सनतान मृत हो गए थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पतिया कुवंर अपने प्रवरिस करने वाली द्वितीय पक्ष सं0 एक एवं दो को मौखिक बॉटवारे के अनुसार अपने हिस्से में प्राप्त भूमि का प्रवस्तीनमा लिख दी है। यह कि प्रथम पक्ष ग्राम बोदरा पोस्ट मझिऑव थाना मझिऑव जिला गढ़वा के स्थाई निवासी है तथा उनके पास उनके नाम से विषय वस्तु वाली भूमि का कोई भी कागजात मौजुद नहीं है। अन्त में अनुरोध करते है कि उपरोक्त वाद की काय्रवाई को खारिज किया जाए तथा द्वितीय पक्ष सं0 एक एवं दो को विषय वस्तु वाली भूमि पर जाने की अनुमति दी जाए। उक्त वाद की समय सीमा समाप्त हो गई है। धारा 144 द0प्र0स0 की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 12:12:26 +05:30
Location: 192.168.223.152

31.3.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।